



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 भाद्र 1933 (श0)
(सं0 पटना 550) पटना, वृहस्पतिवार, 22 सितम्बर 2011

सं० 3/एम० 71/2009सा० 2916
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
16 सितम्बर 2011

विषय:— राज्य के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के स्थापना तथा मुफस्सिल स्थापना के Common Category के समूह 'घ' के विभिन्न पदों के पदनाम में परिवर्तन।

छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा समूह 'घ' के कर्मियों को उच्चतर वेतनमान स्वीकृत करने एवं बदलते परिवेश के अनुरूप उनकी कार्यकुशलता को विकसित कर वर्तमान में कर्णांकित कर्तव्य के अतिरिक्त उन्हें अन्य बहुआयामी कार्यों के योग्य बनाने का निर्णय लिया गया है।

2. केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी समूह 'घ' के सभी 10वीं उत्तीर्ण कर्मियों को उत्क्रमित वेतनमान स्वीकृत किया गया है तथा समूह 'घ' के अन्य सभी 10वीं अनुत्तीर्ण कर्मियों को भी प्रशिक्षणोपरांत उक्त उत्क्रमित वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समूह 'घ' के कर्मियों को व्यावहारिक एवं क्षमता विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर उनके कार्य स्तर में उन्नयन करने एवं उनसे अन्य बहुआयामी कार्य, यथा— फोटोकॉपी कराने, फ़ैक्स कराने, कार्यालय एवं उसके उद्यानों की देख-रेख का कार्य कराने, कार्यालय एवं उसके उपस्करों को साफ कराने आदि सहित कार्यालय के अन्य गैर-लिपिकीय कार्य लेने का भी विचार किया जा रहा है। इस हेतु प्रशिक्षण के आयोजन का दायित्व बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को सौंपा गया है।

3. अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के स्थापना तथा मुफस्सिल स्थापना के common category के समूह 'घ' के विभिन्न पदों, यथा अनुसेवी, आदेशपाल, दफ्तरी, जमादार पिउन, जमादार अर्दली का पदनाम परिवर्तित कर "कार्यालय परिचारी (Office Attendant)" किया जाय।

4. यह नामकरण तुरंत प्रभावी होगा तथा भविष्य में संचिकाओं के निष्पादन एवं पत्राचार में उक्त पदों को 'कार्यालय परिचारी' (Office Attendant) नाम से ही संबोधित किया जायेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ महाधिवक्ता का कार्यालय/बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 550-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>